<u>Court of Sessions Judge, Sheohar</u>

<u>S.Tr No. 39/20</u>

सरकार

बनाम

रामदेव राय एवं अन्य .... अभियुक्तगण

<u>02-11-2020</u>

कोविड–19 के कारण विचारण के कुल दस अभियुक्तों में से काराधीन एक अभियुक्त रामदेव राय को कारा से उपस्थापन किया गया है। सिर्फ C/W ही प्रस्तुत किया गया है। पुनः उपस्थापन हेतु C/W को वापस कारा भेजा जाता है। शेष 09 अभियुक्तों में से दो की ओर से हाजिरी एवं सात की ओर से धारा–317 द्र0प्र0स0 का प्रतिनिधित्व ई–मेल के माध्यम से दिया गया है। जिसे मात्र आज हेतु स्वीकृत किया जाता है।

प्रस्तुत अभिलेख आवेदकगण/ अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामेदव राय 2. अमोद राय 3. धमेन्द्र राय 4. बिहारी राय 5. राजेश राय 6. छोटू राय 7. हरिनारायण राय 8. किशोरी राय 9. विकास राय 10. प्रकाश राय की ओर से दाखिल आरोप–मुक्त करने संबंधी आवेदन दिनांकित 20.10.2020 एवं प्रत्युत्तर दिनांक 20.10.2020 पर सुनवाई के पश्चात आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाशंकर नारायण सिंह द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्दबयान में अंकित सूचक के कथनों से अभियुक्त संख्या 02 ता 10 पर आरोप–पत्र में अंकित धाराओं के अंतर्गत कोई आरोप नहीं बनता है तथा अभियुक्त संख्या 01 के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–304 का संदेहास्पद आरोप बनात है तथा अनुसंधान के अंतर्गत संकलित साक्षियों के साक्ष्य से धारा–436 का आरोप साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना किया गया है कि अभियुक्तगण को आरोप मुक्त करने संबंधी आदेश पारित किया जाये।

इसके विपरित अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के उक्त आवेदन पर प्रत्युत्तर दाखिल कर आपत्ति किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल उक्त आवेदन कानूनन विचार के योग्य नहीं है। मात्र वाद को लंबा खींचने के उद्देश्य से दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा सूचक की बेटी सुप्रिया की निर्मम हत्या कर दिया गया है तथा उनका घर जला दिया गया है एवं प्रेमा देवी, बहादुर यादव, राकेश राय, अंकित कुमार एवं सूचक को जख्मी कर दिया गया है। जिसका साक्ष्य कांड दैनिकी की कंडिका– 7,8,9,10,79,80,81 एवं 82 पर

P.T.O.

उपलब्ध है एवं पोस्टमार्टम रिर्पोट तथा सभी जख्मीयों का जख्म पत्र भी उपलब्ध है। अभियुक्तगण उपरोक्त घटना common object के तहत हत्या एवं अन्य अपराध कारित किया है। आरोप के लिए मजबूत संदेह ही काफी है। जबकि यहाँ ठोस साक्ष्य उपलब्ध है। अतः निवेदन किया गया है कि सफाई पक्ष का उक्त आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सविस्तार सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक/पिड़ीत नवीन यादव ने अपने फर्दबयान में स्पष्ट रूप से आवेदकगणों/ अभियुक्तगणों पर आरोप लगाया है कि मुझे एवं मेरे परिवार के सभी सदस्यों को फरसा,लाठी, डंडा, छुरा से मार–पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिये तथा मेरे घर को भी जला दिये। सभी एक साथ मिल कर हमला कर दिये तथा मेरी बच्ची चारपाई पर लेटी थी जिसकी उम्र करीब तेरह (13) माह है। रामदेव राय छुरी से मेरी पुत्री सुप्रिया के ललाट पर एवं बाँये पैर पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर बेरहमी पूर्वक हत्या कर दिया। जिसका साक्ष्य कांड दैनिकी की कंडिका 07,08,09,10,79,80,81 एवं 82 पर उपलब्ध है तथा मृत्तिका सुप्रिया कुमारी उम्र– 13 माह का पोस्टमार्टम रिर्पोट एवं अन्य जख्मीयों का जख्म प्रतिवेदन भी कांड दैनिकी के साथ अभिलेख पर उपलब्ध है आवेदकगणों/ अभियुक्तगणों द्वारा उपरोक्त घटना common object के तहत हत्या, घर जलाना एवं अन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त आवेदकगणों /अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित है तथा संज्ञान भी धारा–147,148,149,302,307,324,323,504,506 भा0द0वि0 के अंतर्गत लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं विवोचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदकगणों/ अभियुक्तगणों के विरूद्ध पर्याप्त एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप गठन हेतु अभिलेख पर ठोस साक्ष्य उपलब्ध है। जबकि आरोप–गठन हेतु केवल मजबूत संदेह ही काफी है। अतः आवेदकगणों/ अभियुक्तगणें की ओर से दाखिल उन्मोचन के उक्त आवदेन दिनांकित 20.10.2020 खारिज किया जाता है।

दिनांक 06.11.2020 आरोप गठन हेतु अभियुक्तगण सदेह आवें।

लेखापित

ह0/–

सत्र न्यायाधीश।

02.11.2020